

संख्या नीपको/क्यूपी/ईडी/सीएण्डपी/एफ/सी/काहेप मेगा/545/2022-23/ 627

दिनांक:16.06.2022

सेवा,

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
लाइतुमखा मेन रोड, शिलांग -793003
दूरभाष.सं. 0364-2226387
ई-मेल:doleynabakamal@uiic.co.in

ध्यानार्थ: श्री एन.के.दोले,एसडीएम

विषय: 17/06/2022 के 00:00:00: बजे से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट),काएचपीएस,वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश की परिसंपतियों के लिए औद्योगिक सभी जोखिम (आईएआर) बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु- आशय पत्र (एलओआई)

संदर्भ:1. एनआईबी संख्या 416 दिनांक 12.04.2022

2. शुद्धिपत्र संख्या 01 दिनांक 09.05.2022, शुद्धिपत्र संख्या 02 दिनांक 17.05.2022, शुद्धिपत्र संख्या 03 दिनांक 18.05.2022.

3. विचलन की वापसी, आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर नीपको का ईमेल दिनांक 22.05.2022,25.05.2022 और 03.06.2022

4. बोली की वैधता बढ़ाने और अतिरिक्त दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर यूआईआईसी का ईमेल दिनांक 24.05.2022, 25.05.2022 और 03.06.2022

5. प्रीमियम उद्धरण कम करने के लिए नीपको का ईमेल दिनांक 15.06.2022

6. संशोधित प्रीमियम उद्धरण प्रस्तुत करने पर यूआईआईसी का ईमेल दिनांक 15.06.2021

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) 17/06/2022 के 00:00:00: बजे से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट),काएचपीएस,वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश की परिसंपतियों के लिए औद्योगिक सभी जोखिम (आईएआर) बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ यूआईआईसी के ईमेल दिनांक 15.06.2022 के माध्यम से उद्धृत रूपये 43,97,94,748.00 (रु. तैतालीस करोड़ सन्तानवे लाख चौरानवे हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र की प्रीमियम राशि का बीमा करने हेतु निम्नलिखित कुल बीमाकृत राशि (एसआई) के लिए जीएसटी @18 के साथ आदेश जारी करने का इच्छुक है।

विवरण	बीमा राशि (रूपये)
आईएआर कवर (क्षतिग्रस्त सामग्री)	6489,60,00,000.00
मशीनरी ब्रेक डाउन (एमबीडी)	1463,89,08,684.13
भूकंप (प्लिंथ और नींव सहित)	6489,60,00,000.00
व्यापार व्यवधान-एफएलओपी (12 महीने)	1125,66,27,080.00
व्यापार व्यवधान-एमएलओपी (12 महीने)	1125,66,27,080.00
आतंकवाद कवर	7615,26,27,080.00
संपत्ति क्षति के लिए सार्वजनिक देयता औद्योगिक जोखिम कवर एओए: एओवाई -15 करोड़: 60 करोड़	60,00,00,000.00
शारीरिक क्षति/जीवन क्षति के लिए सार्वजनिक देयता औद्योगिक जोखिम कवर एओए: एओवाई-5 करोड़:15 करोड़	15,00,00,000.00

कार्य का दायरा एनआईबी संख्या 416 दिनांक 12.04.2022 के विस्तृत बोली दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और इसके उपरांत जारी शुद्धिपत्र के अनुसार होगा। लागू होने वाले टीएसी/आईआरडीए मानदंडों के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आईएआर बीमा पॉलिसी के तहत अंतर्निर्मित कवरेज के अलावा, एओजी खतरों आदि की ऐड-ऑन, डिडक्टिबल्स और हानि सीमा आदि की उप-सीमा सामान्य नियमों और शर्तों में संलग्न **अनुबंध-1** के अनुसार होगा। अनुबंध-1 के अलावा दर्शाए गए, बोली की शर्तों से कोई अन्य विचलन वापस ले लिया जाएगा।

खंड 19.0, अनुच्छेद-V के अनुसार: बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, बीमा पॉलिसी से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए बीमाकर्ता संयंत्र प्रमुख, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, काएचपीएस, वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के परामर्श से निगम के बिना किसी अतिरिक्त लागत के **कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन** का जोखिम संबंधी निरीक्षण करेंगे, और आईएआर बीमा पॉलिसी के प्रस्तावित नवीनीकरण की समाप्ति से कम से कम 3 (तीन) महीने पहले संयंत्र प्रमुख, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, काएचपीएस, वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश, मुख्य महाप्रबंधक(सी), आई/सी ठेका व प्रापण, नीपको, शिलांग, मेघालय को एक प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि विस्तृत आदेश जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें

1. एलओआई की बिना शर्त स्वीकृति
2. इस एलओआई के जारी होने की तिथि से 7 (सात) दिनों के अंतर्गत पुनर्बीमा समर्थन की पूर्ण नियुक्ति की पुष्टि लेने हेतु फॉर्म एफ-3ए के तहत घोषणा: बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमा व्यवस्था विवरण के संबंध में एफ-3सी:प्रमाण पत्र और आपकी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों के अनुवर्ती पुनर्बीमाकर्ता(ओं) द्वारा पुनर्बीमा समर्थन के संबंध में प्रमाण पत्र।
3. प्रीमियम बिल/इनवॉइस की तीन प्रतियाँ जिसमें प्रीमियम जारी करने के लिए आपका जीएसटीआईएन नंबर और एसएसी कोड दर्शाया है। नीपको का जीएसटी नंबर जीएसटीआईएन नंबर 12AAACN9991J3Z1 के रूप में कृपया नोट किया जाए।

इस एलओआई को 17.06.2022 के 00:00:00 बजे से संयंत्र के लिए बीमा कवर शुरू करने के निर्देश के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए शर्तों को पूरा करने पर पॉलिसी के नवीनीकरण की नियत तारीख से पहले पूर्ववर्ती पैरा की प्रीमियम जारी किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मुख्य महाप्रबंधक (सी)
प्रभारी, ठेका व प्रापण

पॉलिसी के नियम और शर्तें

अनुबंध -1

1. बीमा पॉलिसी दिनांक 17.06.2022 को 00:00:00 बजे से शुरू होगी। बीमित राशि और संबंधित प्रीमियम नीचे दिए गए हैं:

पॉलिसी कवर	बीमा राशि (रुपये में)	प्रीमियम की दर प्रति मील (रुपये प्रति हजार)	जीएसटी को छोड़कर प्रीमियम (रुपये में)
आईएआर कवर (क्षतिग्रस्त सामग्री)	6489,60,00,000.00	3,726602	24,18,41,592.00
मशीनरी ब्रेक डाउन (एमबीडी)	1463,89,08,684.13	1,00000	1,46,38,908.68
भूकंप (प्लिंथ और नींव सहित)	6489,60,00,000.00	0.50000	3,24,48,000.00
व्यापार व्यवधान-एफएलओपी (12 महीने)	1125,66,27,080.00	4,4007272	4,95,37,344.97
व्यापार व्यवधान-एमएलओपी (12 महीने)	1125,66,27,080.00	2.50000	2,81,41,567.70
आतंकवाद कवर	7615,26,27,080.00	0.038081418	29,00,000.00
संपत्ति क्षति के लिए सार्वजनिक देयता औद्योगिक जोखिम कवर एओए: एओवाई -15 करोड़: 60 करोड़	60,00,00,000.00	2.6666667	16,00,000.00
शारीरिक क्षति/जीवन क्षति के लिए सार्वजनिक देयता औद्योगिक जोखिम कवर एओए: एओवाई-5 करोड़:15 करोड़	15,00,00,000.00	10.6666667	16,00,000.00
जीएसटी को छोड़कर कुल प्रीमियम			37,27,07,413.35
जीएसटी @ 18% जोड़ें			6,70,87,334.40
जीएसटी सहित कुल प्रीमियम			43,97,94,747.75

2. निम्नलिखित उद्धृत कटौती योग्य लागू होंगे:

पीडी/एमबीडी	दावा राशि का 10% न्यूनतम 7.25 करोड़ रुपये के अधीन
एफएलओपी	75 दिनों का मानक सकल लाभ (एसजीपी)
एमएलओपी	75 दिनों का मानक सकल लाभ (एसजीपी)
सैंधमारी/चोरी/आरएसएमडी के लिए कटौती योग्य (दंगे, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण क्षति)	दावा राशि का 10% न्यूनतम 7.25 करोड़ रुपये के अधीन
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कटौती योग्य	पीडी/एमबीडी के लिए दावा राशि का 10% न्यूनतम 7.25 करोड़ रुपये के अधीन
निर्माण के दौरान संपत्ति के लिए कटौती योग्य	दावा राशि का 10% न्यूनतम 7.25 करोड़ रुपये के अधीन
अंतर्देशीय पारगमन के तहत कटौती योग्य	दावा राशि का 5% प्रत्येक घटना के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपये के अधीन
आइसोलेशन में चल रहे ऐड-ऑन कवर के लिए कटौती योग्य	दावा राशि का 10% न्यूनतम 2.00 करोड़ रुपए के अधीन

3. निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

व्यवसाय में बाधा सहित एओजी परिल्स से उत्पन्न होने वाले सभी दावों के लिए	कुल मिलाकर 750 करोड़ रुपये की हानि
---	------------------------------------

4. लागू होने वाले टीएसी/आईआरडीए के दिशानिर्देशों के तहत आईएआर बीमा पॉलिसी के तहत अंतर्निर्मित कवरेज के अलावा, ऐड-ऑन के लिए निम्नलिखित उप-सीमाएं भी लागू होंगी।

क्र.सं	ऐड-ऑन	उप-सीमा
1	एयरफ्रेट भाड़ा सहित खर्च में तेजी लाना	5 करोड़ रुपये
2	आकिटेक्ट, सर्वेक्षक और परामर्श इंजीनियरों की फीस	दावा राशि का 1 करोड़ रुपये (3% से अधिक)।
3	विध्वंस की लागत और/या विदेशी मलबा/पानी निकालने के खर्च सहित मलबा हटाना।	कुल विदेशी मलबे में 15 करोड़ रुपये और आरओडी की सीमा के 30% तक की सफाई के खर्च पर सहमति
4	हानि न्यूनीकरण/हानि निवारण व्यय।	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये

5	पूँजी वृद्धि/नई अर्जित संपत्ति/ब्याज	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये
6	अल्पबीमा	संपत्ति / सामग्री क्षति भाग के लिए 15%
7	वृद्धि खंड	सामग्री क्षति के लिए 5% (स्टॉक को छोड़कर)
8	बीमा, परिवर्धन, परिवर्तन या विस्तार में चूक	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये
9	तत्काल मरम्मत/राहत/मामूली मरम्मत	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये
10	स्टॉक क्लॉज को अस्थायी रूप से हटाना	कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपये
11	उपकरण का अंतर्देशीय पारगमन (परिसर के भीतर)	5 करोड़ रुपये (एकल ले जाने की सीमा)
12	निर्माण/निर्माण/मामूली कार्यों के दौरान संपत्ति	10 करोड़ रुपये
13	योजना, दस्तावेज और कंप्यूटर रिकॉर्ड	कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये
14	अतिरिक्त सीमा शुल्क	कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये
15	विचार क्षति	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये
16	संपत्ति बीमाकृत परिसर में नहीं है/ बंद परिसर	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये
17	शट डाउन / स्टार्ट अप खर्च	ईईएल और कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये तक
18	पेशेवर लेखाकार खंड	कुल मिलाकर 50 लाख रुपये
19	कार्य करने की अतिरिक्त बढ़ी हुई लागत	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये
20	अभिगम की रोकथाम	सीबीआई के शब्दों के अनुसार पहुंच की रोकथाम के लिए सहमत हुए।
21	बीआई के लिए दावा तैयार करने की लागत	कुल मिलाकर 50 लाख रुपये
22	जोड़ी और सेट क्लॉज	कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये
23	बहाली मूल्य खंड	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
24	संपत्ति खंड का पदनाम	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
25	स्थानीय प्राधिकरण खंड	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये तक की सहमति
26	ट्रस्ट क्लॉज में रखे गए सामान	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, जब तक कि यह घोषित कुल बीमा राशि में शामिल है
27	ओवरहेड और सभी प्रकार के क्रेन और निर्माण उपकरण सहित स्वयं के वाहनों, फोर्कलिफ्ट्स के कारण प्रभाव क्षति	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
28	72 घंटे खंड	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
29	प्रस्थापन खंड की छूट	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
30	खाते में भुगतान खंड	हानि समायोजक की अनुशंसा पर
31	विभाग खंड	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
32	वैकल्पिक आधार खंड	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
33	सहमत बैंक खंड (नाम प्रस्तुत किया जाना है)	मैसर्स यूआईआईसीएल द्वारा सहमत
34	बीमा राशि में परिवर्तन	यथानुपात प्रीमियम के साथ एसआई में ऊपर की ओर संशोधन की अनुमति है। बीमा राशि में कमी के मामले में, यह बीमाकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से लागू होगा और बीमाकर्ता द्वारा इस तरह की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर नीपको को यथानुपात प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा, जो बीमा राशि में संशोधन की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अधीन बीमाकर्ता के साथ साझा किया जाता है।